Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण सं0 30/2017 अनवान प्रभुपुरी वगैरा बनाम नगरपालिका बाली जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बाली अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18.01.2018 18-1-2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री विजयराज चौधरी के जूनियर अधिवक्ता उपस्थित। वकील अप्रार्थी श्री मूलसिंह यादव उपस्थित। दोनो पक्षो के वकुलाय की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण में यह जाहिर हैं कि ग्राम बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 1291 के खातेदार प्रभुपुरी पुत्र घीसुपुरी जाति.गुसाई निवासी बाली ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में यह वर्णित करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की हैं कि नगरपालिका बाली द्वारा बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 1290 गै.मु. रास्ता में जो सडक निर्माण का कार्य किया जा रहा हैं, वह निर्माण कार्य खसरा नंबर 1290 से बाहर खसरा नंबर 1291 की भूमि में किया जा रहा है। जिसको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे। इसके विपरित नगरपालिका बाली की और से जो जबाव पेश किया गया हैं उस जबाव में एवं उनके अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव द्वारा यह दलील दी जा रही हैं कि नगरपालिका बाली द्वारा रोड खसरा नंबर 1290 गै.मु. रास्ता की भूमि में ही बनाया जा रहा है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे। इस प्रकार उक्त प्रकरण में नगरपालिका, बाली द्वारा खसरा नंबर 1291 में किसी प्रकार के सडक निर्माण से इन्कार किया जा रहा है, इसके विपरित प्रार्थी पक्ष द्वारा खसरा नंबर 1290 गै.मु. रास्ता के लगती प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 1291 में नगरपालिका बाली द्वारा सडक निर्माण कराये जाने का आरोप लगाया जा रहा हैं। इस प्रकार उक्त प्रकरण में न्यायालय के निर्णय का कोई बिन्दु ही नहीं हैं। क्योंकि प्रार्थीगण पक्ष का दावा हैं कि अप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1291 में निर्माण कार्य करवा रहे है, इसके विपरित अप्रार्थी पक्ष का दावा हैं कि उनके द्वारा खसरा नंबर 1290 गै.मु. रास्ता के अतिरिक्त अन्य भूमि खसरा नंबर 1291 में किसी प्रकार की सडक का निर्माण नहीं कराया जा रहा हैं। प्रकरण में दोनो पक्षो के मध्य माठ का विवाद प्रथम दृष्ट्या होना जाहिर हैं। जिस विवाद का निवारण उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से नहीं हो सकता हैं। अतः दोनों पक्षो के मध्य माठ विवाद के निवारण हेतु बाली स्थित भूमि खसरा नंबर 1291 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं एवं खसरा नंबर 1290 जो कि रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है, दोनो खसरो के मध्य की सीमाये राजस्व नक्शे अनुसार तय कर पत्थर गढी कराने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थर गढी हेतु नायब तहसीलदार, बाली के नेतृत्व में 02 निरीक्षक भू0अभिलेख व पटवारी हल्का, बाली के संयुक्त दल का गठन किया जाता हैं। नायब तहसीलदार, बाली को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने दल के साथ मौके पर जाकर खसरा नंबर 1291 व खसरा नंबर 1290 की राजस्व नक्शे अनुसार सीमा तय कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी पक्ष की मौजुदगी में पत्थर गढी कर पालना से एक सप्ताह में अवगत करायेगे। अब प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु न्यायालय के सामने कोई बिन्दु नहीं होने से प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाती हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बाली उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned by CamScanner